क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 190/OA-425/22/2024 दिनांक 22.04.2024

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:- Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to order dated 12.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 425/2022 M. C. Dwivedi Versus State of U.P.

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal; New Delhi Principal Bench Order dated 12.02.2024 on the subject mentioned above. Relevant part of the order dated 12.02.2024 passed by Hon'ble NGT is as below –

".....7. The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.

8. In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units......"

In compliance of the above order passed by Hon'ble NGT, fresh inspection report dated 16.04.2024 of joint committee and position of recovery of EC is attached for your kind consideration please.

Encls:- As Above.

Yours faithfully,

22/4/24
(Radhey Shyam)
Regional Officer

Reply on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to order dated 12.02.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 425/2022 M. C. Dwivedi Versus State of U.P.

The Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed an order dated 12.02.2024 in Original Application No.- 425/2022 M. C. Dwivedi Versus State of U.P. The operative portion of the order is as under:-

"*.....7. The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.*

8. In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units......"

In compliance to the order dated 12.02.2024 passed by the National Green Tribunal, New Delhi, the following action has been taken against the defaulter brick kilns:-

(1) U.P. Pollution Control Board has requested to District Magistrate, Kasganj vide letter dated 24.02.2024 for the proper compliance of Closure Order issued against M/s Famous Bricks, Village Kharpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj & M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj. The copy of letter is annexed as **Annexure-I.**

(2) U.P. Pollution Control Board has requested to District Magistrate, Kasganj vide letter dated 27.02.2024, 18.04.2024 for the recovery of Environmental Compensation, imposed on 04 Brick kilns. The copy of letters dated 27.02.2024 and 18.04.2024 are respectively annexed as **Annexure-II and III.**

(3) The inspection of M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj and M/s Famous Bricks, Village Kharpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj was carried on 13.03.2024. Prior to the inspection a notice of inspection has duly been served upon the units in question by the U.P. Pollution Control Board. The prosecution against the M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj and M/s Famous Bricks, Village Kharpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj is under process. The copies of notice of inspection are annexed as **Annexure-IV and V.**

(4) During the inspection on 13.03.2024 M/s Famous Bricks, Village Kharpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj & M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj were found operational without obtaining prior consent from the U.P. Pollution Control Board. Process for imposition of additional Environmental Compensation of Rs. 2,18,750/- against M/s Famous Bricks, Village Kharpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj and Rs. 2,18,750/- against M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj is under consideration. The copies of the letters dated 20.03.2024 along with the respective inspection reports are annexed as **Annexure-VI and VII.**

(5) The Joint committee comprising officials of District Administration, Kasganj, Mining Department, Kasganj and U.P. Pollution Control Board has inspected the M/s Ujala Bricks, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj, M/s Sarpanch Ent Udhyog, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj, M/s Diamond Brick Field, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj and M/s Famous Bricks, Village-Kharpara, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj on 16.04.2024. During the inspection the abovementioned brick kilns were found closed. The copy of the joint inspection reports are annexed as **Annexure-VIII, IX, X and XI.**

(6) Presently the above noted and identified brick kilns were found closed during the inspection done by joint committee on 16.04.2024. Further, the prosecution against the units in question will be initiated in accordance to the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended through Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 vide notification dated 11.08.2023 by Ministry of Law and Justice, Union of India, applicable from 01.04.2024 in pursuance to the Gazette dated 18.10.2023 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The copy of the above mentioned notifications are annexed as **Annexure-XII and XIII.**

22/4/24

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक– 2622/OA-425/22/2024 दिनांक– 24.02.24

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कासगंज।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईट भट्ठा) (अक्षांश–27.747493 देशान्तर–78.894108) ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज एवं मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश–27.749965 देशान्तर–78.918164) ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में मै0 मै0 सरपंच ईट उद्योग,, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज, मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज, मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज एवं मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध दायर याचिका की सुनवाई मा0 एन0जी0टी0 में समय–समय पर किया जा रहा है। सन्दर्भित ईंट भट्ठे का कार्यालय अभिलेखानुसार निरीक्षण पूर्व में दिनांक 05.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय **मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज एवं मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज** संचालित पाये गये थे तथा जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, कासगंज से अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, कासगंज से अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। ईंट भट्ठों का पुनः निरीक्षण दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त दोनों ईंट भट्ठे संचालित पाये गये थे, जिसको तहसील प्रशासन के साथ दिनांक 15.01.2024 को ही बन्द करा दिया गया था। ईंट भट्ठे का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उक्त दोनों भट्ठे संचालित पाये गये। कार्यालय के पत्र दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से पुनः जिलाधिकारी महोदया, कासगंज से ईंट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज तथा खान निरीक्षक, कासगंज को अपने स्तर से कार्यावाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में प्रकरण मा0 एनजीटी में विचारधीन है। मा0 एनजीटी द्वारा दिनांक 12.02.2024 को सुनवाई के दौरान उक्त दोनों ईंट भट्ठे बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी भट्ठे कैसे संचालित हो रहे है, के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा रोष व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ एवं जिलाधिकारी, कासगंज को व्यक्तिगत एपियर करने सम्बन्धी आदेश पारित करने के लिए कहा गया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उक्त प्रकरण की गंम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों ईंट भट्ठों मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज एवं मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का संचालन तत्काल बन्द कराने हेतु उपजिलाधिकारी, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज, क्षेत्राधिकारी, पुलिस, सहावर, कासगंज एवं खान निरीक्षक, कासगंज को निर्देशित करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज।
4. उपजिलाधिकारी तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे के संचालन सम्बन्धी किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने का कष्ट करें।
5. क्षेत्राधिकारी पुलिस, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
6. जिला खान अधिकारी, कासगंज।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

199

04/3/24

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

Ref. No.: H07626 /C-4/Ent-1041/2024, Dated: 27-2-24

To,

The Collector,
Kasganj

Sub. : Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Famous Brick, Gata No.-8, Villege-Kharpara, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

Sir,

In O.A. No.-425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of Uttar Pradesh & Ors. vide its order dated 12-02-2024 the Hon'b1e National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

"....7. *The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.*

8. *In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units.*

9. *List on 24.04.2024......"*

Further, please refer to H.O. letter No-H89108/C-4/Ent-1041/E.C./2023, dated 14.02.2023 & H.O. letter No-H06802/C-4/Ent-1041/E.C./2024, dated 09.02.2024 on the above subject. UPPCB vide letter dated 14-02-2023 & 09.02.2024 has imposed Environmental Compensation of Rs. 1,75,000/- & Rs. 11,25,000/- against the unit. The amount of Environmental Compensation has not been deposited by the unit till date.

The sum of Rs. 13,00,000/- (Rupees Thirteen Lakh only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Famous Brick, Gata No.-8, Villege-Kharpara, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

The Name and Address of the Owner/Director/Partner of the concerned industry is as follows:-

1- **Mr. Mohammad Uvesh S/o Mr. Ajaj Khan (Partner), R/o-Pachpokhra, Thana-Ganjdudwara, Pargana & Tehsil-Patiyali, District-Kasganj.**
2- **Mr. Abdul Khalik S/o Mr. Abdul Latif (Partner), R/o-Sujawalpur, Thana-Ganjdudwara, Pargana & Tehsil-Patiyali, District-Kasganj.**
3- **Mr. Mohammad Yunus S/o Mr. Sartaj Ali (Partner), R/o-Pachpokhra, Thana-Ganjdudwara, Pargana & Tehsil-Patiyali, District-Kasganj.**

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No.-701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

Yours Sincerely,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Encl: As above.

CC:- Regional Officer, UPPCB, Aligarh.

Member Secretary

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

SDM/SA

09/03/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

Ref. No. H07674 /C-4/Ent-1043/2024, Dated 27-2-24

To,

The Collector,
Kasganj

Sub. : Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Ujala Brick (Present Name-M/s JP Ent Bhatta), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

Sir,

In O.A. No.-425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of Uttar Pradesh & Ors. vide its order dated 12-02-2024 the Hon'b1e National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

"....7. *The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.*

8. *In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units.*

9. *List on 24.04.2024......*"

Further, please refer to H.O. letter No-H06801/C-4/Ent-1043/S.C.N./2023, dated 09.02.2024 on the above subject. UPPCB vide letter dated 09.02.2024 has imposed Environmental Compensation of Rs. 11,25,000/- against the unit. The amount of Environmental Compensation has not been deposited by the unit till date.

The sum of Rs. 11,25,000/- (Rupees Eleven Lakh Twenty Five Thousand only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Ujala Brick (Present Name-M/s JP Ent Bhatta), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

The Name and Address of the Owner/Director/Partner of the concerned industry is as follows:-

1- **Mr. Muhammad Adil Khan (Partner), M/s Ujala Brick (Present Name-M/s JP Ent Bhatta), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.**

2- **Mr. Israr Husain (Partner), M/s Ujala Brick (Present Name-M/s JP Ent Bhatta), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.**

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No.-701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

CC:- Regional Officer, UPPCB, Aligarh.

Member Secretary

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

Ref. No. H07623/C-4/Ent-1176/2024, Dated : 27-2-24

To,

The Collector,
Kasganj

Sub. : Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Sarpanch Ent Udyog (Present Name-M/s Sarpanch Bricks), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

Sir,

In O.A. No.-425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of Uttar Pradesh & Ors. vide its order dated 12-02-2024 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

"....7. *The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.*

8. *In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units.*

9. *List on 24.04.2024......"*

Further, please refer to H.O. letter No-H89103/C-4/Ent-1176/E.C./2023, dated 14.02.2023 on the above subject. UPPCB vide letter dated 14.02.2023 has imposed Environmental Compensation of Rs. 75,000/- against the unit. The amount of Environmental Compensation has not been deposited by the unit till date.

The sum of Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Sarpanch Ent Udyog (Present Name-M/s Sarpanch Bricks), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

The Name and Address of the Owner/Director/Partner of the concerned industry is as follows:-

1- Mr. Mohammad Waseem Khan (Proprietor), M/s Sarpanch Ent Udyog (Present Name-M/s Sarpanch Bricks), Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No.-701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

CC:- Regional Officer, UPPCB, Aligarh.

Member Secretary

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

SDM
05/3/2024

2024

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

Ref. No. H07626 /C-4/Ent-1042/2024, Dated : 27-2-24

To,

The Collector,
Kasganj

Sub. : Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Diamond Brick Field, Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

Sir,

In O.A. No.-425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of Uttar Pradesh & Ors. vide its order dated 12-02-2024 the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following directions;

"....7. *The Regional Officer, UPPCB, Aligarh is present through virtual mode and has submitted that for prosecuting the units found to be operating even after closure order, communication dated 08.02.2024 has been sent to the District Magistrate, Kasganj. He is directed to appear virtually on the next date of hearing and inform the Tribunal about status of prosecution of the defaulter units.*

8. *In the meanwhile, let the fresh report be also filed by the UPPCB indicating the position of recovery of EC as also the prosecution of the defaulter units.*

9. *List on 24.04.2024......"*

Further, please refer to H.O. letter No-H80794/C-4/Ent-1043/Closure Order/2022, dated 07.09.2022 & H.O. letter No-H89109/C-4/Ent-1042/E.C./2023, dated 14.02.2023 on the above subject. UPPCB vide letter dated 07-09-2022 & 14.02.2023 has imposed Environmental Compensation of Rs. 4,37,500/- & Rs. 25,000/- against the unit. The amount of Environmental Compensation has not been deposited by the unit till date.

The sum of Rs. 4,62,500/- (Rupees Four Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only) is payable in account of Environment Compensation from M/s Diamond Brick Field, Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

The Name and Address of the Owner/Director/Partner of the concerned industry is as follows:-

1- **Mr. Mohd Jubair (Proprietor), M/s Diamond Brick Field, Villege-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.**

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's Account No.-701502010002104, IFSC Code-UBIN0570150, Union Bank of India, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

CC:- Regional Officer, UPPCB, Aligarh.

Member Secretary

AEC - 05/3/2024

टी.सी.-12वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेबसाइट-www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

सं0 3

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 176/OA-425/22/2024 दिनांक 18.04.24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,

कासगंज (उ0प्र0)।

पिन–207123

संदर्भ– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य विचाराधीन है, जिसमें मा0 एनजीटी में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 24.04.2024 को नियत है। सन्दर्भित ओ0ए0 संख्या–425/2022 में जनपद कासगंज के 04 ईट भट्ठे आच्छादित हैं, जिस पर बोर्ड मुख्यालय स्तर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है (छायाप्रतियां संलग्न), जिसका विवरण निम्नवत है–

क0	ईट भट्ठे का नाम व पता	बोर्ड मुख्यालय का पत्रांक व दिनांक	ईट भट्ठे पर अधिरोपित पर्या0 क्षति0 धनराशि
1	मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम खरपरा, तहसील सहावर, जनपद कासगंज (उ0प्र0)।	एच89108/सी–4/ईट–1041 पर्या0क्षति0/ 2023 दिनांक 14.02.0023 एच06802/सी–4/ईट–1041/पर्या0क्षति0/ 2024 दिनांक 09.02.0024	1,75,000.00 11,25,000.00
2	मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम रामछितौनी, तहसील सहावर, जनपद कासगंज (उ0प्र0)।	एच89109/सी–4/ईट–1042 पर्या0क्षति0/ 2023 दिनांक 14.02.0023 एच80784/सी–4/ईट–1043/बन्दी आदेश /2022 दिनांक 07.09.0022	25,000.00 4,37,500.00
3	मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम रामछितौनी, तहसील सहावर, जनपद कासगंज (उ0प्र0)।	एच06801/सी–4/ईट–1043/का0ब0नो0/2023 दिनांक 09.02.0024	11,25,000.00
4	मै0 सरपंच ईट उद्योग, ग्राम छितौनी, तहसील सहावर, जनपद कासगंज (उ0प्र0)।	एच89103/सी–4/ईट–1176/ पर्या0क्षति0/ 2023 दिनांक 14.02.0023	75,000.00

अग्रेतर अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2024 द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति कराते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को बोर्ड मुख्यालय के खाते में जमा कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न), किन्तु कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठों द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड मुख्यालय के खाते में जमा किये जाने सम्बन्धी अथवा भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने की कृत कार्यवाही की कोई भी सचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2024 के क्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भाँति कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, सहावर को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे मा0 एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

18/4/24

क्षेत्रीय अधिकारी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD,
T. C.-12 V., VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW

FORM II
[See rule 28]

NOTICE OF INSPECTION

MEMBER SECRETARY

To,

M/s Ujala Brick (Present Name-M/s JP Ent Bhatta),
Village-Ramchhitoni, Post-Ghadhka, Thana-Ganjdudwara,
Tahsil-Sahawar, District-Kasganj

Take Notice that for the purpose of enquiry under section-21, the following officers of the State Board namely :-

1. Mr. J.P. Singh, Regional Officer (Incharge), Aligarh
2. Mr. Upendra Prasad, Assistant Environmental Engineer, Aligarh

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

(1) Any systems of your Indusrial Plant.

(2) Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date ...13/03/2024........... between.1:38 PM.......... hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to above stated demand made under the functions of the State Board shall amount obstruction punishable under section-37(1) of the Act.

[illegible]

7599629791

~~MEMBER SECRETARY~~
Sanjeev Kumar Singh
Member Secretary
UP Pollution Control Board

Copy to :-

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD,
T. C.-12 V., VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,
LUCKNOW

FORM II
[See rule 28]

NOTICE OF INSPECTION

MEMBER SECRETARY

To,

M/s Famous Bricks,
Gata No.-8, Village-Kharpara, Thana-Ganjdudwara,
Tahsil-Sahawar, District-Kasganj

Take Notice that for the purpose of enquiry under section-21, the following officers of the State Board namely :-

1. Mr. J.P. Singh, Regional Officer (Incharge), Aligarh
2. Mr. Upendra Prasad, Assistant Environmental Engineer, Aligarh

and the persons authorized by the Board to assist them shall inspect-

(1) Any systems of your Indusrial Plant.

(2) Any other parts thereof or pertaining thereto under management/control of date ...13/03/2024... between...1.30.p.m....... hours when all facilities requested by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to above stated demand made under the functions of the State Board shall amount obstruction punishable under section-37(1) of the Act.

प्राप्त किया

Copy to :- अब्दुल खालिक पुत्र
श्री अब्दुल लतीफ मालिक
ग्राम सुजावलपुर थाना गंज डुण्डवारा
तहसील सहावर जनपद कासगंज
8606697417

MEMBER SECRETARY
Sanjeev Kumar Singh
Member Secretary
UP Pollution Control Board

रा. 6

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक- 2067 / NOC-3121/24

दिनांक- 20-03-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश-27.749965 देशान्तर-78.918164) ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरूद्ध जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच06802 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश-27.749965 देशान्तर-78.918164) ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरूद्ध जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के सम्बन्ध में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया।निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा स्वामी के रूप में श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, पार्टनर, उपस्थित थे। ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

20/3/24

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश–27.749965 देशान्तर–78.918164) ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्‌टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्‌ठा प्रोपराइटर श्री अब्दुल खालिक (मोबाइल नं0–8606697417) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भट्‌ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरांन्त भी संचालित पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है।

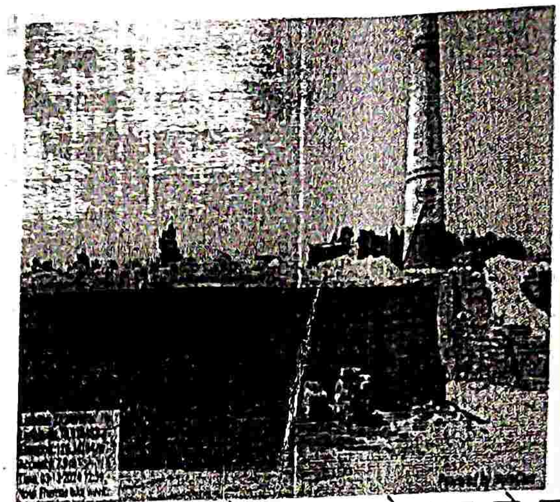

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्‌ठे द्वारा मिट्‌टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा 20,000 ईट/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्‌ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्‌टी मिक्सिंग में किया जाता है। ईट भट्‌ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईट भट्‌ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईट भट्‌ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय ईट भट्‌ठे की ट्रेंच में ईट भरी होने के कारण वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्‌ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्‌ठा परिसर में हरित पट्टिका/ग्रीन वेल्ट ईट भट्‌ठे के चारो तरफ नियमानुसार विकसित नही पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्‌ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईट भट्‌ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन के साथ दिनांक 23.01.2023 को किया गया। तत्पश्चात् जिला प्रशासन के साथ ईट भट्‌ठे को जारी बन्दी आदेश का पुनः अनुपालन दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से कराया गया था। अनुपालन आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2180 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।
8. ईट भट्‌ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्‌ठा बन्दी आदेश का उल्लंघन करते हुए संचालित पाया गया। उक्त के अनुक्रम में ईट भट्‌ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0 =12,500/- प्रतिदिन की दर से 07 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 12500x7 = 87,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्‌ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–2736 दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी।

आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2182 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश प्रभावी होने तथा प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण पूर्व में दिनांक 05.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 25.12.2023 से किया गया था। अतः दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 05.01.2024 तक डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 12 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 6250x12 = 75,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2074 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से की गयी थी।

12. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठें का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित होने के कारण जिला प्रशासन के साथ ईंट भट्ठे में पानी डालकर दिनांक 15.01.2024 को बन्द करा दिया गया था एवं ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 15.01.2024 तक डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 12 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 6250x12 = 75,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2418 दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से की गयी थी। ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच6801 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निरीक्षण दिनांक 13.03.2024 को ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। ईंट भट्ठे को दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

16/3/24
(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

16-3-2024
(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

16/3/24

सं 7

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक- 2868/KS-537/24 दिनांक- 20-03-24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम-मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा) (अक्षांश-27.747493 देशान्तर-78.894108) ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरूद्ध जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच06801 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। अग्रेतर अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम-मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा) (अक्षांश-27.747493 देशान्तर-78.894108), ग्राम-रामछितौनी, पोस्ट-गढ़का, थाना-गंजडुडवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के सम्बन्ध में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा स्वामी के रूप में श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, पार्टनर, उपस्थित थे। ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
20/3/24
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा) (अक्षांश–27.747493 देशान्तर–78.894108) ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षकर्ताओं द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा पार्टनर श्री विजेन्द्र सिंह (मोबाइल नं0–7599629791) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त भी संचालित पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है।

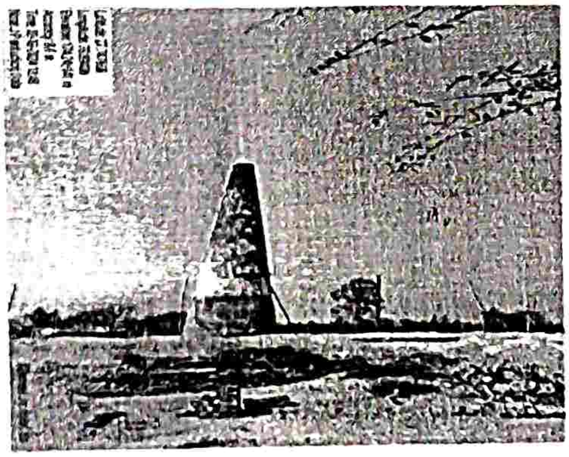

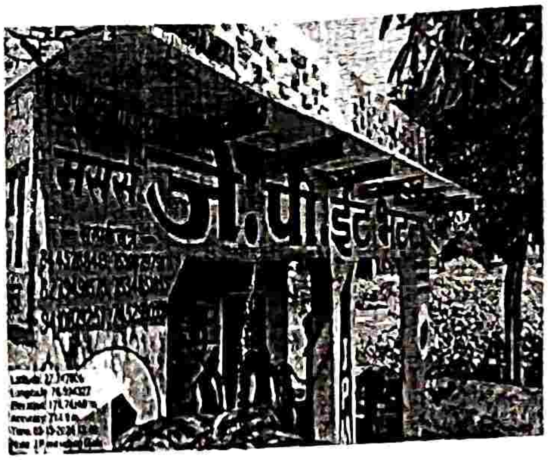

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा 20,000 ईंट/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है। ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईंट भट्ठे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
5. उक्त ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–108298 एवं 108297 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
6. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी, प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित पायी गयी।
7. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
8. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89504 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
9. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वर्तमान नाम मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा के नाम से संचालित हो रहा है, जिसके पार्टनर श्री विजेन्द्र सिंह एवं श्री तेजेन्द्र सिंह है, जिसका जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09AATFJ9446N1Z7 के नाम से प्राप्त किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठा ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।
10. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89504 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन के साथ दिनांक 23.01.2023 को किया गया। तत्पश्चात् जिला प्रशासन के साथ ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का पुनः अनुपालन दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से कराया गया था। अनुपालन

आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2182 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश प्रभावी होने तथा प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण पूर्व में दिनांक 05.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 25.12.2023 से किया गया था। अतः दिनांक 25.12.2023 से दिनांक 05.01.2024 तक डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 12 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 6250x12 = 75,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2074 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से की गयी थी।

12. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठें का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित होने के कारण जिला प्रशासन के साथ ईंट भट्ठे में पानी डालकर दिनांक 15.01.2024 को बन्द करा दिया गया था एवं ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 06.01.2024 से दिनांक 15.01.2024 तक डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 12 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 6250x12 = 75,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2418 दिनांक 07.02.2024 के माध्यम से की गयी थी। ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच6801 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निरीक्षण दिनांक 13.03.2024 को ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। ईंट भट्ठे को दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ गोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

16/03/24
(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

16/3/2024
(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

16/3/24

स. 8

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश–27.749965 देशान्तर–78.918164) ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार, सहावर, खान निरीक्षक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में मो0 यूनिस (पार्टनर) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. संयुक्त निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। परन्तु ईंट भट्ठे के ट्रेंच जिसमें कच्ची ईंट भरी थीं। ट्रेंच गर्म होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईंट भट्ठे का संचालन किया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन विगत एक सप्ताह से बन्द है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे के ट्रेंच में फायर विभाग के फायर टैंकर से पानी डलवा दिया गया, जिससे कि ईंट भट्ठे का संचालन न होने पाये। संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा में पानी डलवाने की कार्यवाही का विवरण संलग्न है। फोटोग्राफ संलग्न है

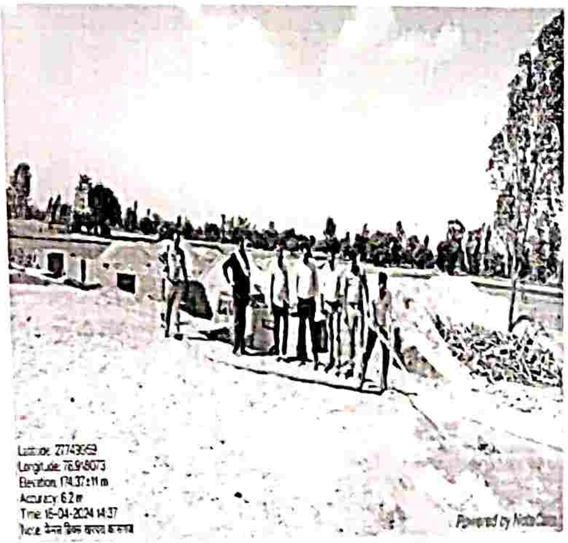

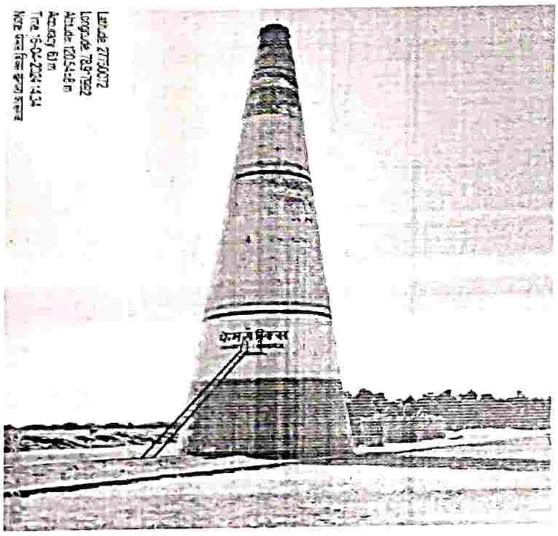

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा 20,000 ईंट/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है।
3. संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है। ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
4. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की ट्रेंच में ईंट भरी होने के कारण वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका।
5. संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की व्यवस्था स्थापित पायी गयी।
6. संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में हरित पट्टिका/ग्रीन वेल्ट ईंट भट्ठे के चारो तरफ नियमानुसार विकसित नही पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन के साथ दिनांक 23.01.2023 को किया गया। तत्पश्चात् जिला प्रशासन के साथ ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का पुनः अनुपालन दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से कराया गया था। अनुपालन आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2180 दिनांक 16.01.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।
8. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश प्रभावी होने तथा प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण पूर्व में दिनांक 05.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया था। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा दी

गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 01.01.2024 से किया गया था। अतः दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 05.01.2024 तक डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 5 दिवस हेतु संशोधित कुल रू0 6250x5 = 31,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2072 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से की गयी थी।

9. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच06802 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)।

10. ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 11,25,000/– जमा किये जाने हेतु जिलाधिकारी, कासगंज को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच07626 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय स्तर से नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन जारी किया गया था। ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया तथा बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन को ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दिया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या एवं ईंट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.04.2024 को प्राप्त करा दिया गया है।

12. निरीक्षण दिनांक 13.03.2024 को ईंट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. सख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन होने के उपरान्त भी संचालित होने के कारण पूर्व में ईंट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 11,25,000/– के अतिरिक्त दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–2867 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है (छायाप्रति संलग्न)।

13. संयुक्त निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) एवं अन्य आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किये बिना न किया जाये।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 14.03.2024 से दिनांक 16.04.2024 तक कुल 34 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 34 दिवस हेतु कुल रू0 6250x34 = 2,12,500/- की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18.4.24

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

(सुरेश लाकडा)
खान निरीक्षक
कासगंज

18-4-24

(सन्दीप चौधरी)
तहसीलदार, तहसील–सहावर
कासगंज

उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

18/04/2024
SDM(S)

18/4/24

सा.9

श्री राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में मै0 उजाला ब्रिक्स, (वर्तमान नाम–मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा) (अक्षांश–27.747493 देशान्तर–78.894108) ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार, सहावर, खान निरीक्षक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री विजेन्द्र सिंह (पार्टनर) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है।

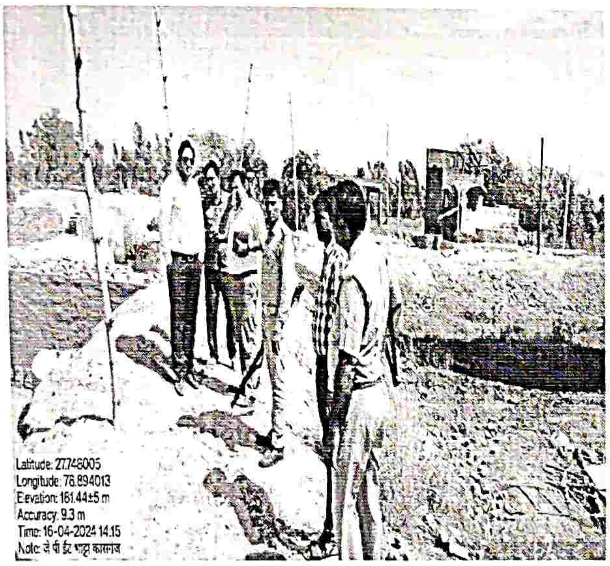

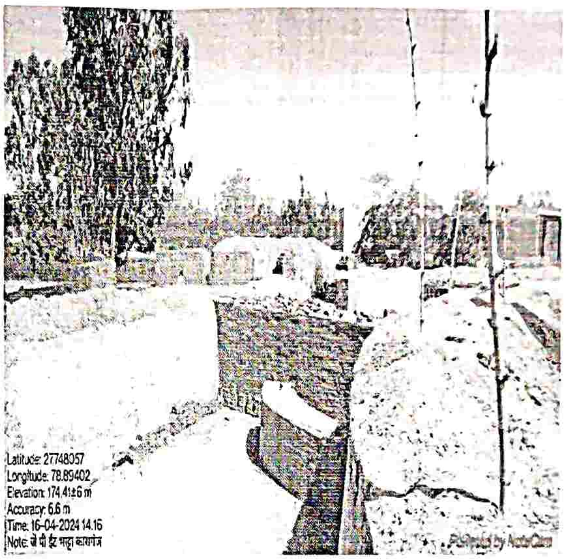

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा 20,000 ईंट/दिन क्षमता पर उत्पादन किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
4. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
5. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
6. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित पायी गयी।
7. उक्त ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–108298 एवं 108297 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है, जिसको कार्यालय के पत्र संख्या–2945 दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से रिवोक किया गया।
8. ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89504 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है।
9. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
10. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में वर्तमान नाम मै0 जे0पी0 ईंट भट्ठा के नाम से संचालित हो रहा है, जिसके पार्टनर श्री विजेन्द्र सिंह एवं श्री तेजेन्द्र सिंह है, जिसका जी.एस.टी.

सर्टिफिकेट संख्या–09AATFJ9446N1Z7 के नाम से प्राप्त किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठा ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील– सहावर, जनपद–कासगंज में स्थापित है।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच06801 दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से रू0 11,25,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईंट भट्ठा स्वाम द्वारा उक्त धनराशि बोर्ड खाते में जमा नहीं किया गया है।

12. ईंट भट्ठा स्वामी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 11,25,000/– जमा किये जाने हेतु जिलाधिकारी, कासगंज को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच07624 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

12. ईंट भट्ठे के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ईंट भट्ठे के विरूद्ध नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन जारी किया गया था। जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन के अनुपालन में सन्दर्भित ईंट भट्ठा का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोशन लाल को नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दिया गया है। विस्तृत निरीक्षण आख्या एवं ईंट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.04.2024 को प्राप्त करा दिया गया है।

13. निरीक्षण दिनांक 13.03.2024 को ईंट भट्ठा बन्दी आदेश प्रभावी होने तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में विचाराधीन होने के उपरान्त भी संचालित होने के कारण पूर्व में ईंट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 11,25,000/– के अतिरिक्त दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 6250x35 = 2,18,750/- अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ बोर्ड मुख्यालय से जारी नोटिस ऑफ इन्सपेक्शन की मूल प्रति जो ईंट भट्ठा स्वामी को दिनांक 13.03.2024 को प्राप्त करा दी गयी है, को संज्ञानित करते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–2868 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है (छायाप्रति संलग्न)।

14. संयुक्त निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा में फुकाई का कार्य पूर्ण रूप से बन्द पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठा विगत माह दिनांक 13.03.2024 से बन्द है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) एवं अन्य आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किये बिना न किया जाये।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

18.4.24

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

18/4/24

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

(सुरेश लाकड़ा)
खान निरीक्षक
कासगंज

18-4-24

(सन्दीप चौधरी)
तहसीलदार, तहसील–सहावर
कासगंज

उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

18/04/2024
SDM(S)

18/4/24

स.10

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.747432 देशान्तर– 78.906299), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईंट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार, सहावर, खान निरीक्षक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.04.2024 को किया गया।

निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप कोई भी उपस्थित नहीं मिला। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी के आस–पास ट्रंच आदि में कोई कच्ची ईट भरी हुई नही पायी गयी तथा संचालन से सम्बन्धित कोई भी कार्य जैसेः– कच्ची ईट पथाई, मिट्टी खनन आदि ईट भट्ठे के आस–पास होता हुआ नही पाया गया। फोटोग्राफ संलग्न है–

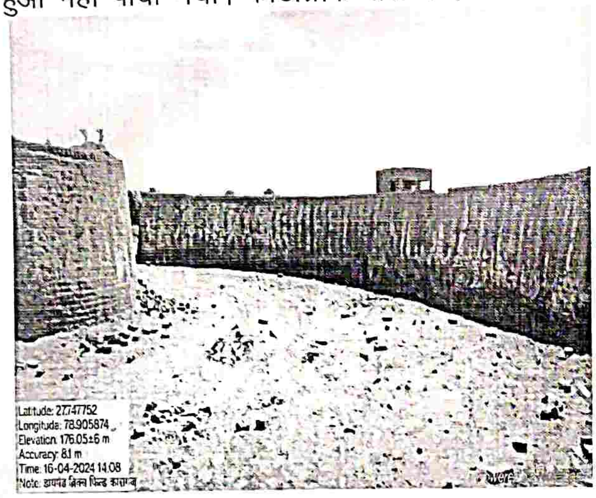

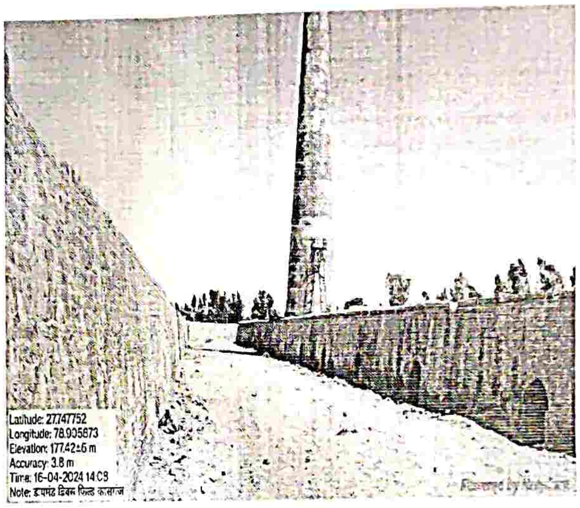

2. निरीक्षण के समय दूरभाष पर ईट भट्ठा स्वामी से दूरभाष पर वार्ता की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे का संचालन नही किया जायेगा।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे खीचे गचे फोटोग्राफ संलग्न हैः–
4. ईट भट्ठे का निरीक्षण पूर्व में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.01.2024, 15.01.2024 एवं 07.02.2024 को भी किया गया था। ईट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया।
5. ईंट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में कुल रू0 4,62,500/– अधिरोपित की गयी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ईट भट्ठा द्वारा बोर्ड के निर्धारित न किये जाने के कारण ईट भट्ठे के विरूद्ध भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की की वसूली किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच07625 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से कलैक्टर, कासगंज अनुरोध किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18.4.24	18/04/24			18.4.24
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)	(सुरेश लाकडा)	(सन्दीप चौधरी)
प्रयोगशाला सहायक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	खान निरीक्षक कासगंज	तहसीलदार, तहसील–सहावर कासगंज

उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

18/04/2024 (SDM(S)) | 18/4/24

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में मै0 सरपंच ईट उद्योग, (अक्षांश–27.747277 देशान्तर–78.910874), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्टे का संयुक्त निरीक्षण तहसीलदार, सहावर, खान निरीक्षक के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री धर्मपाल (ड्राइवर) उपस्थित थे।

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इस सीजन में भट्ठे का संचालन नहीं किया गया है। फोटोग्राफ संलग्न है–

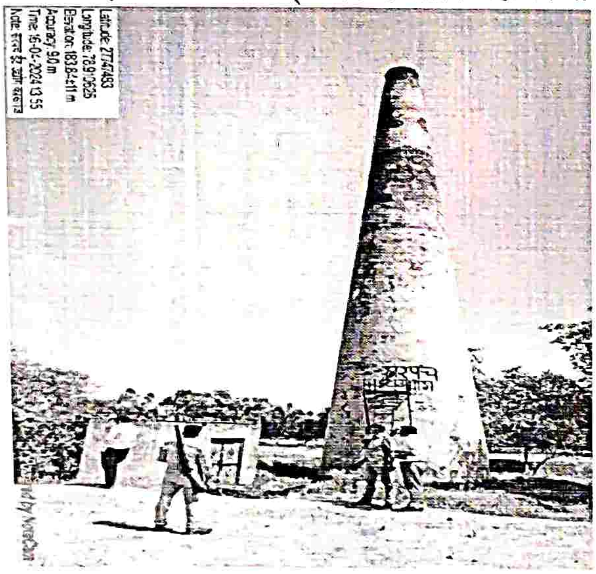

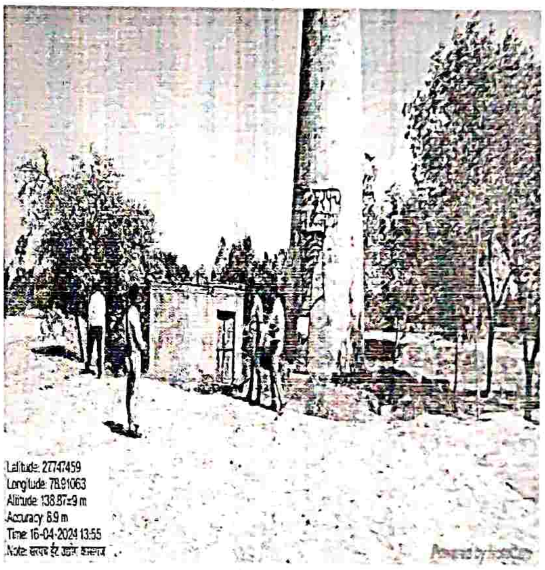

2. निरीक्षण के समय दूरभाष पर ईट भट्ठा स्वामी से दूरभाष पर वार्ता की गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे का संचालन नही किया जायेगा।
3. ईट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण दिनांक 05.01.2024, 15.01.2024 एवं 07.02.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे की निरीक्षण आख्या इस कार्यालय की पत्र संख्या–2078 दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे खीचे गचे फोटोग्राफ संलग्न है:–
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच89103 दिनांक 14.02.2023 के माध्यम से रू0 75,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि ईंट भट्ठा द्वारा बोर्ड के निर्धारित न किये जाने के कारण ईट भट्ठे के विरूद्ध भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच07623 दिनांक 27.02.2024 के माध्यम से कलैक्टर, कासगंज अनुरोध किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18.4.24 — (जितेन्द्र कुमार शर्मा) प्रयोगशाला सहायक

18/4/24 — (उपेन्द्र प्रसाद) सहायक पर्यावरण अभियन्ता

(डॉ0 जे0पी0 सिंह) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

(सुरेश लाकड़ा) खान निरीक्षक कासगंज

18-4-24 — (सन्दीप चौधरी) तहसीलदार, तहसील–सहावर कासगंज

उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

18/04/2024 SDM(S)

18/4/24

संलग्नक-12

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—21

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248047
CG-DL-E-12082023-248047

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/ श्रावण 20, 1945 (शक)
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SRAVANA 20, 1945 (SAKA))

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 11*th August*, 2023/*Sravana* 20, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 11th August, 2023 and is hereby published for general information:—

THE *JAN VISHWAS* (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2023

No. 18 OF 2023

[11*th August*, 2023.]

An Act to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (*1*) This Act may be called the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2023. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof. Amendment of certain enactments.

3. The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act. Revision of fines and penalties.

Savings. 4. The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

THE SCHEDULE

(*See* section 2)

Sl. No.	Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1867	25	The Press and Registration of Books Act, 1867	(*A*) In section 8C,— (*i*) in sub-section (*1*), after the words, figure and letter "declaration under section 8B", the words, figures and letter "or an order by the Press Registrar suspending or cancelling the certificate of registration under section 12 or imposing penalties under section 13 or under section 19K" shall be inserted; (*ii*) in sub-section (*2*), after the words "records from the Magistrate", the words "or from the Press Registrar, as the case may be," shall be inserted. (*B*) For sections 12 to 14, the following sections shall be substituted, namely:— "12. Suspension or cancellation of certificate of registration.—(*1*) The Press Registrar may, by order, suspend the certificate of registration of a newspaper for a period not exceeding one year, if— (*a*) the publisher has failed to publish the newspaper continuously. *Explanation.*—For the removal of doubts, it is hereby clarified that if a newspaper publishes less than half of its issues, as are required to be published under rule (*6*) of section 5, such newspaper shall be deemed to

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	1981	14	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981	(*A*) In section 21, for sub-section (*1*), the following shall be substituted, namely:— "(*1*) No person shall establish or operate any industrial plant in an air pollution control area unless the previous consent of the State Board has been obtained in pursuance of an application made by such person in accordance with the provisions of this section: Provided that the Central Government may in consultation with the Central Pollution Control Board, by notification in the Official Gazette, exempt certain categories of industrial plants from the application of the provisions of this sub-section.". (*B*) After section 21, the following section shall be inserted, namely:— "21A. Power to issue guidelines.—(*1*) Notwithstanding anything contained in this Act, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish or operate any industrial plant in an air pollution control area, including the mechanism for time bound disposal of the application made under section 21 or validity period of such consent. (*2*) Every State Board, in discharge of its functions for the purposes of grant, refusal or cancellation of consent under section 21 shall act in accordance with the guidelines issued under sub-section (*1*).". (*C*) For sections 37 to 41, the following sections shall be substituted, namely:— '37. Failure to comply with provisions of section 22 or directions issued under section 31A.—(*1*) Whoever contravenes or does not comply with the provisions of section 22 or directions issued under section 31A, shall, in respect of each such contravention , be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (*2*) Where any person continues contravention under sub-section (*1*), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				38. Penalties for certain acts.—(*1*) Whoever— (*a*) destroys, pulls down, removes, injures or defaces any pillar, post or stake fixed in the ground or any notice or other matter put up, inscribed or placed, by or under the authority of the Board; (*b*) obstructs any person acting under the orders or directions of the Board from exercising his powers and performing his functions under this Act; (*c*) damages any works or property belonging to the Board; (*d*) fails to furnish to the Board or any officer or other employee of the Board any information required by the Board or such officer or other employee for the purposes of this Act; (*e*) fails to intimate the occurrence of the emission of air pollutants into the atmosphere in excess of the standards laid down by the State Board or the apprehension of such occurrence, to the State Board and other prescribed authorities or agencies as required under sub-section (*1*) of section 23; (*f*) fails in giving any information which he is required to give under this Act, makes a statement which is false in any material particular, shall be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees. (*2*) Where any person continues contravention under sub-section (*1*), he shall be liable to additional penalty of ten thousand rupees for every day during which such contravention continues. 38A. Penalty for contravention by Government Department.—(*1*) Where contravention of any provision of this Act has been committed by any Department of the Central Government or the State Government, the Head of the Department shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Provided that he shall not be liable for such contravention, if he proves that the contravention was committed without his knowledge or instructions or that he exercised all due diligence to prevent such contravention.
				(*2*) Where any contravention under sub-section (*1*) is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the Head of the Department, the officer shall be liable to penalty equal to one month of his basic salary:
				Provided that he shall not be liable for the contravention, if he proves that he exercised all due diligence to avoid such contravention.
				39. Penalties for contravention of certain provisions of this Act.—If any person contravenes any of the provisions of this Act or any order or direction issued thereunder, for which no penalty has been provided for in this Act, shall be liable to penalty which shall not be less than ten thousand rupees, but which may extend to fifteen lakh rupees, and where such contravention continues, he shall be liable to additional penalty which may extend to ten thousand rupees for every day during which such contravention continues.
				39A. Adjudicating officer.—(*1*) The Central Government, for the purposes of determining the penalties under sections 37, 38, 38A and section 39, shall appoint an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or a Secretary to the State Government to be the adjudicating officer, to hold an inquiry and to impose the penalty in the manner, as may be prescribed:
				Provided that the Central Government may appoint as many adjudicating officers as may be required.
				(*2*) The adjudicating officer may summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject-matter of the inquiry and if, on such inquiry, he is satisfied that the person concerned has contravened the provisions of this Act, he may determine such penalty as he thinks fit

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				under the provisions of sections 37, 38, 38A or 39, as the case may be: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. (*3*) The amount of penalty imposed under the provisions of sections 37, 38, 38A and 39, shall be in addition to the liability to pay relief or compensation under section 15 read with section 17 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). 39B. Appeal.—(*1*) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under sections 37, 38, 38A or 39, may prefer an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010). (*2*) Every appeal under sub-section (*1*) shall be filed within sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. (*3*) The Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order appealed against. (*4*) Where an appeal is preferred against any order of the adjudicating officer under sub-section (*1*), it shall not be entertained by the Tribunal unless the person has deposited with the Tribunal ten per cent. of the amount of the penalty imposed by the adjudicating officer. 39C. Penalty amount to be credited to Environmental Protection Fund.—Where an adjudicating officer imposes penalty or additional penalty, as the case may be, under sections 37, 38, 38A or 39, the amount of such penalty shall be credited to the Environmental Protection Fund established under section 16 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986). 39D. Offences for failure to comply with provisions of section 21 and for failure to pay penalty.—(*1*) Whoever fails to comply with the provisions of section 21, shall, in respect of each such failure, be punishable with imprisonment for a term

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				which shall not be less than one year and six months but which may extend to six years and with fine, and in case the failure continues, with an additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such failure continues after the conviction for the first such failure. (*2*) If the failure referred to in sub-section (*1*) continues beyond a period of one year after the date of conviction, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine. (*3*) Where any person fails to pay the penalty or the additional penalty, as the case may be, imposed under the provisions of this Act within ninety days of such imposition, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to twice the amount of the penalty or additional penalty so imposed or with both. (*4*) Where any offence under sub-section (*1*) or sub-section (*2*) or sub-section (*3*) has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was directly in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of such offence and he shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in sub-section (*1*) or sub-section (*2*) or sub-section (*3*), if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (*5*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*4*), where an offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. *Explanation.*—For the purposes of this section,— (*a*) "company" includes body corporate, firm, trust, society and any other association of individuals; (*b*) "director" includes director of the company, partner of the firm, members of the society or trust or member of any association of individuals, as the case may be.'. (*D*) In section 43, in sub-section (*1*), after clause (*a*), the following clause shall be inserted, namely:— "(*aa*) the adjudicating officer or any officer authorised by him in this behalf; or". (*E*) In section 53, in sub-section (*1*), after clause (*g*), the following clause shall be inserted, namely:— "(*h*) the manner of holding inquiry and imposing penalties by the adjudicating officer under sub-section (*1*) of section 39A.".
22.	1981	61	The National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981	In section 56, for sub-section (*2*), the following sub-sections shall be substituted, namely:— "(*2*) If any person fails to produce any book, account or other document, or to furnish any statement or information which, under the provisions of this Act, it is his duty to produce or furnish, he shall be liable to penalty which may extend to one lakh fifty thousand rupees in respect of each failure and in the case of a continuing failure, an additional penalty which may extend to seven thousand five hundred rupees for every day during which the failure continues after the first such failure. (*3*) For the purpose of adjudging penalty under sub-section (*2*), the National Bank shall serve notice on the person requiring it to show cause why the amount specified in the notice should not be imposed as a penalty and a reasonable opportunity of being heard shall also be given to such person. (*4*) Any penalty imposed by the National Bank under this section shall be

227

12

संलग्नक-13

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249554
CG-DL-E-18102023-249554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2023/आश्विन 26, 1945
No. 603] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2023/ASVINA 26, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 757(अ.).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनिय, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल , 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम , 1981 (1981 का 14) से संबन्धित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 21 और उसकी प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. Q-15012/1/2022-CPW]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 October, 2023

G.S.R. 757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st April, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 21 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), shall come into force.

[F.No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

6642 GI/2023

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL